

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन राशायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल -

उचनारुई

धरा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 288/25

दायर दिनांक 21.05.2025 निर्णय दिनांक

27.05.2025



क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट	वर्तमान प्राविष्टी	शुद्ध प्राविष्टी	पदेन सहायक कलक्टर कपासन
1	<u>उचनारुई</u>	<u>उ. 50</u>	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्राविष्टी बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक	शुद्ध प्राविष्टी राजस्थान ग्रामीण बैंक	कपासन आदेश तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज. भू.स. अ.वि. 1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>उचनारुई</u> पर <u>उ. 50</u> नाम से <u>खालास</u> <u>उ. 50</u> में वर्तमान प्राविष्ट बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
				हस्ताक्षर गिरदावर <u>गिरदावर</u>	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार <u>तहसीलदार</u>	पदेन सहायक कलक्टर कपासन <u>कपासन</u>

प्रतिनिधि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल उ. 50 को भोजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कपासन जिला- चितौडगढ

तहसीलदार-कपासन  
तहसीलदार(भू.अ.) कपासन